

PLANNING AND CEILING OF TIME IN CRICKET MATCHES BILL

श्री० रामजी सिंह (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि क्रिकेट मैचों के खेल में आयोजन तथा अधिकतम समय सीमा के नियतन का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR: DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the planning and fixation of ceiling of time in the play of Cricket matches."

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इण्ट्राडिक्शन की स्टेज पर इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ग्राम तौर पर इंट्रोडिक्शन की स्टेज पर प्राइवेट मेम्बरों बिल को प्रपोज नहीं किया जाता। पर यह बिल जिस तरह से पेश किया गया वह अगर यहाँ पर इंट्रोडिक्शन होता है तो न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में हम एक ऐसी योजना में आ जायेंगे जिसे मैं बहुत ही उपहासास्पद और रिडिक्युलस पाजीवन समझता हूँ। ऐसी स्थिति इस से बनेगी। इस बिल को आप देखें, कांस्टीट्यूशनल तौर पर मैंने इस को प्रपोज नहीं किया हालांकि यह सबजक्ट जो स्पोर्ट्स का है यह सिर्फ स्टेट्स का है और ग्रंडर दि कांस्टीट्यूशन सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही इस के ऊपर डिस्कजन कर सकता है या इस को एनैक्ट कर सकता है। वैसे भी यह फण्ड-मेण्टल राट्टस के भी खिलाफ है और बाकी सब चीजों के भी खिलाफ है।

इस बिल में यह कहा गया है कि क्रिकेट का खेल सिर्फ दो घण्टे के लिए कर दिया जाय और कोई खिलाड़ी अगर इस को दो घण्टे से ज्यादा खेले तो उस को एक साल की सजा दी जाय। इन्होंने वर्ड यज किया है क्रिकेट। क्रिकेट के बजाय यह कोई भी और खेल रखले, गल्ली डंडा रखते या बाल एण्ड बैट की बात करते तो बात समझ में आती। परन्तु क्रिकेट का खेल एक इंटरनेशनल खेल है जिस को रूल्स बनाने का अधिकार सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट एजेंसी को है, और किसी एजेंसी को इस का अधिकार नहीं है। इसलिए क्रिकेट की बात कहना और उस के साथ यह बात कहना कि यह दो घण्टे ही होगा, ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं। आप यह भी देखेंगे कि जो ओलम्पिक चार्टर है जिस को इस देश ने भी माना है और सब देश मानते हैं उस में भी यह लिखा गया है कि—

"NC4 must be autonomous and must resist all pressures of any kind what soever, whether of a political, religious or economic nature: In pursuing their objectives, they may cooperate with private or government organisations: However, they

may never associate themselves with any undertaking which would be in conflict with the principle of the Olympic movement and with the rule of the IOC."

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें कोई अधिकार ही इस बात का नहीं है कि हम इस तरह की कोई चीज करें। जो इंटरनेशनल बाडीज हैं खेलों की वही इस को कर सकती हैं। कल को इस तरह का कोई रेजोल्यूशन आ सकता है कि इंटरनेशनल शतरंज जो होती है वह सिर्फ 15 मिनट होनी चाहिये। और खेलों के बारे में भी इस तरह की बात लायी जा सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात कहना बिल्कुल ही गलत है। अगर कहीं इस हाउस में यह बिल इंट्रोड्यूस हो जाता, इस पर डिस्कशन होता और इस के बारे में दुनिया भर में यह बात जाती तो बहुत ही गलत बात होती।

मैं उन की यह बात समझ सकता हूँ कि वह यह कहें कि क्रिकेट पर टाइम वेस्ट होता है तो उस के लिए वह मास मीडिया को रिक्वेस्ट करें कि उस को इतनी तबज्जह न दें जितनी हाकी को या दूसरे खेलों को दी जाती है। मैं यह भी समझ सकता हूँ कि हम अपनी सरकार से अनुरोध करें कि हम दूसरे खेलों पर ज्यादा खर्च करें, इस पर कम खर्च करें। उन्होंने यह कहा कि यह सोशलिस्ट कन्ट्री में नहीं खेला जाता इसलिए इस के बारे में बैन लगाया जाय। क्रिकेट तो अमेरिका में भी नहीं खेला जाता, कैनाडा में भी नहीं खेला जाता, दुनिया के बहुत में देशों में नहीं खेला जाता, किसी दूसरे मुल्क ने, हिटलर या मुसोलिनी ने भी जहाँ यह खेल नहीं खेला जाता था, इस तरह का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि अगर कोई इस तरह का खेल खेलेगा तो उस को एक साल की सजा दी जायगी।

उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान ने बहुत से मामलों में पहल की है तो उस को इस मामले में भी पहल करनी चाहिए। मैं कोई जरूरी नहीं समझता कि हिन्दुस्तान का मुखता के मामलों में भी पहल बरनी चाहिये। इस तरह की कोई चीज करना बहुत ही गलत चीज होगी। मैं अनुरोध करता हूँ मेम्बर से भी कि वह इस बिल को फौरी तौर पर वापस ले ले, इसके इंट्रोडिक्शन के लिए जिद न करें। अर्धवत् तो यह अनकांस्टीट्यूशनल है लेकिन उस प्वाइंट पर मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने इस को एलाउ कर दिया और कमेटी ने भी एलाउ कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि दोनों ने कैसे इस को एलाउ कर दिया। ... (व्यवधान) ...

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I do not want to discuss the merits of the case because I agree with Shri Malhotra that we will be a laughing stock if we allow this

[Shri Kanwar Lal Gupta]

Bill to be introduced. I could not understand what is 'yojna badh' and 'samaya badh'.

मैं हिन्दी अच्छी तरह समझता हूँ लेकिन समयबद्ध क्या होता है ?

इसलिए मेरा कहना है कि जो बिल कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है, जो हमारा सक्जैक्ट नहीं है, जो स्टेट सक्जैक्ट है बल्कि स्टेट सक्जैक्ट भी नहीं है, यह तो इण्टरनेशनल सक्जैक्ट है जिसकी वजह से इसके बारे में कोई कानून बनाने का अधिकार इस पार्लियामेंट को नहीं है। मैं चाहूंगा कि ग्राम इस बिल के इट्रोडक्शन को एलाउ मत करें। यह इनकांस्टीट्यूशनल भी है, इल्लीगल भी है इसलिए मेरा कहना है इसके लाने से दुनिया के सामने हमारी पार्लियामेंट का मजाक बनेगा। लोग सोचेंगे क्या पार्लियामेंट के पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandinagar): I fully realise that the time for private Members' business is the time for proposing all sorts of interesting ideas, original ideas, even eccentric ideas. We are all wedded to these things; this is meant for that. Therefore, I can appreciate all that my friend Dr. Ramji Singh, says, without agreeing with him at all, from his point of view about cricket, about the waste of time. In the Statement of Objects and Reasons, he says: "It is indeed a vulgar show of cultural pursuits. It reminds one of the ugly bull and bird fight or a fight between a man and a tiger and so on". I do not know whether he has seen cricket matches enough, the game enough before coming to this judgement. But my main objection is this. I want to seek your guidance. You are the Chairman of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions and that is why I want your guidance. In the second para he says: "It is the duty of the government to plan and fix a ceiling of time in cricket matches." Is it ceiling on income or ceiling on land? How does the government come into the picture at all? Moreover if in our Constitution it comes under the State list, then the Central Government may come in by way of guiding the state governments. In no way whatsoever, this comes under the purview of any government in any country in the world. Therefore,

I request you to direct our friend, whom I respect for his frank and good views on many other matters, to bring up this matter not in the form of a Bill, but perhaps in the form of a resolution. A resolution can come here and it can be discussed whether cricket is good or bad, what other games could be brought in. But to bring in this kind of a Bill, to bring in the government, I think a Member can have no justification. I seek your guidance.

SHRI SAUGATA ROY (Barrack-pore): I want to ask you whether the objection to the introduction of this Bill has been made on the ground that it is beyond the Constitution, in which case a full-scale debate will be called for.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has not made that point. It has not been the practice in the Lok Sabha to discuss constitutional competence. Let me quote Kaul and Shakhder's Book: "it is the accepted practice in Lok Sabha that the Speaker does not give any ruling in connection with any Bill as to whether it is constitutionally within the legislative competence of the House or not. The House also does not take a decision on this specific question of *vires* of a Bill. It is open to the Members to express their views in the matter and to address arguments for and against the *vires*, for the consideration of the House. Members take this aspect into account in the stage of motion for leave to introduce a Bill or in subsequent motions on the Bill." Now we are at this stage; he has opposed it... (Interruptions). You can not support; only those who are opposed have an opportunity to speak.

Does the Minister want to say something?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): I fully support the statement of Mr. Malhotra and Mr. Gupta. I do not want to add anything more.

■ डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह भवसर नहीं है कि इस विधेयक के मैरिट्स और डिमैरिट्स पर विचार किया जाये। अभी तो केवल इतनी ही बात है कि संविधान के तहत इस को प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं। भारत के संविधान के शब्द... .

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is not the question. The question is whether leave is to be granted.

डा० रामजी सिंह : यह जो अभी कहा गया है कि राज्य की सूची में है, यह गलत बात है। यह 7वें शेड्यूल के 25वें खण्ड में है—

Education, including technical education and medical education.

और एजुकेशन, सोशल वेलफेअर, स्पोर्ट्स ये सब एक ही मिनिस्ट्री में हैं। शिक्षा मंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि माल इण्डिया कोन्सिल आफ स्पोर्ट्स को टेस्ट मैच की परमिशन गवर्नमेंट आफ इण्डिया देती है। शायद शिक्षा मंत्री जी इस बात को भूल गये हैं जरा इस को याद कर लें। The all India Council of Sports advise the Ministry of Education on matters pertaining to promotion and development of sports and games in the country. Grants are made by the Centre to the States Sports Councils.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It says 'development of sports'.

डा० रामजी सिंह : मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले तो यह संविधान से सम्मन है दूसरे एजुकेशन मिनिस्ट्री के प्रण्डर है, तीसरे टेस्ट मैच की परमिशन गवर्नमेंट आफ इण्डिया देती है, घण्ट भी गवर्नमेंट देती है और उस के बाद जैसा मेरे मित्र मल्होत्रा साहब, वह मेरे बड़े श्रेय्य व्यक्ति हैं, उन को ज्यादा मालूम होगा कि यह औपनिवेशिक संस्कृति का पर्यावरण है, और समूचे देश का काफी समय बरबाद करना रहता है। मैंने यह नहीं कहा है कि क्रिकेट को खत्म किया जाये, लेकिन यदि हाकी एक घण्टे में खेला जा सकता है, फुट-बाल एक घण्टे में खेला जा सकता है तो इस के लिए आप दो घण्टे रख दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच में यह एक समाजवादी समाज का प्रपमान है, मैं खेलने वालों के प्रति कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो औपनिवेशिक देश हैं, जैसे इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, उन में खेला जाता है, अमरीका में नहीं है, सोशलिस्ट कण्ट्रीज में नहीं है। हिन्दुस्तान जैसे देश में इतना समय दफ्तरों में और कालिजों में बरबाद होता है। मैं यह नहीं कहता कि आप इस को बन्द कर दी दीजिये, लेकिन दो घण्टे

निर्धारित कर दीजिए, अगर यह नहीं हो सकता है तो देश का बहुत समय बरबाद होगा।

मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करें और जब समय प्रायेगा तब आप इस को रिजैक्ट कीजिएगा या कुबूल कीजियेगा, लेकिन अभी बाधा मत डालिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are not withdrawing it. Then I will have to put it to the vote of the House.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the planning and fixation of ceiling of time in the play of Cricket matches."

Those in favour may say 'Aye'.

SOME HON. MEMBERS: Aye.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Those against may say 'No'.

SOME HON. MEMBERS: No.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Noes have it; the Noes have it.

SOME HON. MEMBERS: The Ayes have it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the lobbies be cleared.

Lobbies have been cleared now. I shall again put it.

डा० रामजी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का ध्यान मैंने आकृष्ट किया है कि क्रिकेट के द्वारा राष्ट्र के समय का भारी अपव्यय होता है और यही मेरा उद्देश्य था और सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस प्रस्ताव को विदड़ा करता हूँ।

PROF. P. G. MAVALANKAR: He declares the innings closed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Has he the leave of the House to withdraw the Motion?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

The motion was by leave, withdrawn.